कार्यालय : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार

—: आवश्यक सूचना :—

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के अधीन केन्द्र प्रायोजित योजना महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर रखे जाने हेतु एक पैनल तैयार किया जाना है। अगर इस पद पर चयनित उम्मीदवार को रखा जाएगा तो यह पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी।

उपर्युक्त पद पर अभ्यार्थियों की मेधा सूची तैयार करने हेतु लातेहार जिला के निवासी जो आवश्यक योग्यता/अहर्त्ताधारी हैं से विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन–पत्र निम्न पते पर भेजा जाना है–

उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार
समाहरणालय भवन, झारखण्ड, एनेक्सी 'सी' पिन– 829206

परिलब्धि : सभी भत्तों के साथ कुल परिलब्धि 6050.00 रू0 (छः हजार पचास) रू0 प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

1. **शैक्षणिक योग्यता :**
   - **a. न्यूनतम** : सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई0टी0आई0
   - **b. अतिरिक्त :**
     - (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में किसी भी संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर
     - (ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में ले जाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायगा।

   सभी शैक्षणिक योग्यता, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, हीं मान्य होगी।

2. **आयु सीमा :** दिनांक– 01.06.2016 को न्यूनतम **18 वर्ष** होनी चाहिए तथा अधिकत्तम–

(क)	अनारक्षित	35 वर्ष
(ख)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष
(ग)	अ0जा0/अ0ज0जा0 (महिला पुरुष)	40 वर्ष

3. **आरक्षण :** अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या 2020 दिनांक 09.04.2010 द्वारा लातेहार जिला के निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन लातेहार जिला के किसी भी प्रखण्ड के किसी भी ग्राम पंचायत में उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।
5. यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसके अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी।
6. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा, उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाकेगी।

9. **स्थानीयता :** सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14.07.2016 के निदेशानुसार लातेहार जिला के स्थानीय निवासी संविदा के आधार पर ग्राम रोजगार सेवक के चयन हेतु पात्र होंगें।

10. **प्रशिक्षण :** प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

आवेदन पत्र के से साथ सभी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की छायाप्रति एवं जाति प्रमाण पत्र अगर दावा करते है तो संलग्न करना आवश्यक है। मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2016 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधन डाक द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार में जमा किया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

फोटोग्राफ

1. अभ्यर्थी का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. स्थायी पता : ....
4. वर्तमान पता : ....
5. मोबाईल नम्बर : ....
6. ई–मेल आई0डी0 : ....
7. आधार नम्बर : ....
8. जन्म तिथि : ....
9. लिंग : पुरूष / महिला ....
10. स्थानीयता जिला : ....
11. कोटि : पिछड़ी जाति/अत्यन्त पिछड़ी जाति (जो लागू नहीं काट दें।)
12. शैक्षणक योग्यता :

क्र0	परीक्षा का नाम	कुल प्राप्तांक	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5

13. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण पत्र : ....

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है तथा मेरे उपर किसी प्रकार का अपराधिक मामला दर्ज नही है। यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो मेरा/मेरी पत्रता निरस्त माना जायेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर